

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


क्रमांक:-एफ /परावि/प्रशि0/2010/1536 जयपुर, दिनांक :-30.04.10

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद।(समस्त)

विषय:- दिनांक 10.05.2010 को पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि खाद्य नागरिक उपभोक्ता एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी अ0शा0 पत्र क्रमांक एफ 13(1)खा.वि0./आवंटन/09-10 जयपुर दिनांक 30.04.2010 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में लेख है कि दिनांक 10.05.2010 को पंचायती राज के सभी जन-प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जावे, जिसमें ग्राम पंचायत के वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।

प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था हेतु खाद्य, नागरिक उपभोक्ता एवं आपूर्ति विभाग द्वारा अलग से निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


शासन सचिव एवं आयुक्त,
पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, राजस्थान, सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री।
4. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं वितरण विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
9. समस्त जिला कलक्टर।
10. समस्त जिला रसद अधिकारी।
11. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं के समस्त जन-प्रतिनिधियों को उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु सूचित कराने की व्यवस्था करावे।


शासन उप सचिव(प्रशि0)